



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं मूल्यांकन का अध्ययन

शोधार्थी :-

दिव्यांशु मिश्रा

मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय

फतेहगढ़-फर्रुखाबाद

पर्वक्षक :-

चंचला देवी

मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय

फतेहगढ़-फर्रुखाबाद

सारांश :

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पहलू बन गई है, जो सभी वर्गों के छात्रों विशेषकर दिव्यांग एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का प्रयास करती है। यह शोध समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं मूल्यांकन का विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

शोध का उद्देश्य शिक्षकों के समावेशी शिक्षा से संबंधित ज्ञान, उनकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन को समझना एवं मूल्यांकित करना है। इसके अंतर्गत यह विश्लेषण किया गया कि क्या सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर है, और किस सीमा तक वे समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यवहार में लागू करने में सक्षम हैं।

इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों से प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलित किए गए। आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तो है, परंतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधनों की कमी के कारण व्यवहारिक क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती हैं। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपेक्षाकृत अधिक सैद्धांतिक ज्ञान रखते हैं, जबकि गैर-सरकारी विद्यालयों में लचीलापन अधिक पाया गया।

यह शोध समावेशी शिक्षा की प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण, नीति-निर्माण तथा संसाधन-सुलभता की आवश्यकता को उजागर करता है। भविष्य की शैक्षिक योजनाओं में इन निष्कर्षों को सम्मिलित कर समावेशी शिक्षा को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

परिचय

1. पृष्ठभूमि

शिक्षा केवल ज्ञान का अर्जन नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। आज के वैश्वीकरण और डिजिटल युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समावेश, समानता और न्याय के मूल्यों को आत्मसात करने का माध्यम बन गई है। इसी दिशा में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, या शारीरिक-मानसिक स्थिति में हो उनको समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

समावेशी शिक्षा इस विचार को बढ़ावा देती है कि विविधताओं को बाधा नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाए। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा विशेष आवश्यकता वाले, वंचित वर्ग से आने वाला, या कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि का हो शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। भारत में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' जैसे प्रावधानों ने इस दिशा में मजबूत आधार प्रदान किया है।

2. शिक्षक की भूमिका

समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन केवल नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं हो सकता। इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार शिक्षक होते हैं, जो कक्षा में विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। शिक्षक की समझ (Knowledge), अभिवृत्ति (Attitude) और प्रशिक्षण आधारित मूल्यांकन क्षमता (Evaluation Skill) ही यह निर्धारित करती है कि वह समावेशी शिक्षा को कितनी प्रभावशीलता से लागू कर सकता है।

जहाँ एक ओर सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी और कार्यभार अधिक होता है, वहीं दूसरी ओर गैर-सरकारी विद्यालयों में अपेक्षाकृत बड़े तर संसाधन होते हैं, परंतु कभी-कभी समावेशी शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूकता या प्रशिक्षण नहीं होता। ऐसे में इन दोनों शैक्षणिक व्यवस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण, ज्ञान और व्यवहार की तुलना करना अत्यंत आवश्यक है।

3. शोध की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह जानना जरूरी है कि शिक्षक वास्तव में इसे किस हद तक समझते हैं और व्यवहार में लागू करने में कितने सक्षम हैं। यह शोध आवश्यक है क्योंकि शिक्षक यदि समावेशी शिक्षा के प्रति नकारात्मक या भ्रमित दृष्टिकोण रखते हैं, तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है।

कई बार शिक्षक समावेशी शिक्षा का सिद्धांत तो जानते हैं, परंतु संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी उन्हें इसे लागू करने से रोकती है।

सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भिन्न-भिन्न शैक्षिक, सामाजिक और संस्थागत पृष्ठभूमियों से आते हैं, अतः उनके दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

4. समावेशी शिक्षा की परिभाषा

समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी प्रकार के छात्र, विशेष रूप से विकलांग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य वंचित समूहों के छात्र, समान रूप से सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उनके लिए आवश्यकतानुसार सहायक संसाधन, तकनीकी और शैक्षिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है।

5. अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है :

सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति ज्ञान का स्तर जानना।

यह विश्लेषण करना कि इन शिक्षकों की अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के प्रति कितनी सकारात्मक या नकारात्मक है।

यह मूल्यांकन करना कि शिक्षक समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यवहार में किस सीमा तक और किस प्रकार लागू कर पा रहे हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण और व्यवहार में तुलनात्मक भिन्नता की पहचान करना।

अध्ययन की सार्थकता :

समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन और दृष्टिकोण है जो सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, क्षमताओं, विकलांगताओं या विशेष आवश्यकताओं की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना चाहता है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जहां हर छात्र, अपने मतभेदों की परवाह किए बिना, एक साथ भाग ले सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। समावेशी कक्षाएँ वे हैं जहाँ विविधता का स्वरूप दिखा है, और व्यक्तिगत मतभेदों को मूल्यवान संपत्ति माना जाता है, न कि बाधाएँ। यहां, उद्देश्य केवल सहिष्णुता सिखाना नहीं है, बल्कि जीवन की उस अनुभूति का आनंद लेना है जिसे छात्र मिलकर बनाते हैं। इस समावेशी शैक्षिक यात्रा में, प्रत्येक छात्र सामूहिक सीखने के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, जिस से सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनता है। शिक्षा को किसी मनुष्य के जीवन में सामान्य जीवन कौशलों के विकास के साथ-साथ समाज में हो रहे आधुनिकीकरण की समझ का विकास करते हुए सामाजिक परिवर्तनों एवं नवीन चुनौतियों को सहज भाव के साथ स्वीकार करते हुए एक अच्छे जीवन यापन एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा जाता रहा है। किन्तु प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमताओं में विविधता सभी को एक समान शैक्षिक वातावरण में समावेशी कर पाना शिक्षण-अधिगम क्षेत्र की एक व्यापक एवं सार्वभौमिक चुनौती प्रस्तुत करती है। विशेषतः जब बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की होती यह चुनौती असीमित सी होती प्रतीत होती है। इस प्रकार की शैक्षिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा को देखा जा रहा है जोकि प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनमें सामान्य एवं व्यावसायिक सभी तरह के संभावित कौशलों के विकास में अद्वितीय भूमिका निभा रही है।

किन्तु प्रत्येक शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में शिक्षक की ही कल्पना की जाती अतः समावेशी शिक्षा के सफल होने के लिए भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की आधारभूत समझ का होना अत्यंत आवश्यक है जिसकी सहायता से शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके एवं प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में उनका सहयोग किया जा सके।

समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका कक्षा में बच्चे जीवंत मोतियों की तरह होते हैं, और शिक्षक उस धागे की तरह काम करते हैं जो उन्हें मनोरम शिक्षा के एक शानदार हार में पिरोता है। सक्रिय शिक्षकों के बिना, समावेशी शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शिक्षक ज्ञान बांटने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं; वे छात्रों की भावनाओं की भी परवाह करते हैं, उन्हें। अनुकूलन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। समावेशी शिक्षा में पहला कदम समावेशी कक्षा के लिए मंच तैयार करना है। शिक्षक ऐसा माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां हर छात्र स्वागत, सम्मान और महत्व महसूस करे। इसका अर्थ है समावेशी भाषा का उपयोग करना, सहानुभूति को बढ़ावा देना और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के बारे में जानकर होना चाहिए। इसमें सीखने की अक्षमताओं, व्यवहार संबंधी चुनौतियों और किसी अन्य विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना शामिल है। एक बार पहचाने जाने के बाद, शिक्षक इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को तैयार कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा विभेदित शिक्षा पर पनपती है। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए अपनी शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए। इसमें पाठ योजनाओं को संशोधित करना, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना या अतिरिक्त सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।

अतः शोधकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि समावेशी शिक्षा के संचालन में आने वाली सम्बंधित चुनौतियों की जानकारी भी प्राप्त हो सके और भविष्य की शैक्षिक याजनाओं के निर्माण में एक सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य :

- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों के मध्य समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं :

- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शोध समस्या का सीमांकन :

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मंडल के जनपद नैनीताल तक सीमित किया गया है।

- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊं मंडल के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है।

अध्ययन विधि :

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है।

जनसंख्या

अध्ययन हेतु जनसंख्या का चयन उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल में अवस्थित सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों शिक्षकों शिक्षिकाओं के रूप में किया गया है, जिसमें न्यादर्श स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया।

न्यादर्श चयन

स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की सहायता से 50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया। शोध अध्ययन हेतु सभी विद्यालयों तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन माध्यम से किया गया है। जिले प्रत्येक विकासखंड से पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का आंकलन करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों की अभिवृत्ति का परीक्षण करने के लिए शिक्षक अभिवृत्ति मापनी (डॉ विशाल सूद तथा डॉ आरती आनंद, 2011) का उपयोग किया गया है प्रदत्तों का संग्रहण आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालयों एवं उनमें सेवारत शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची प्राप्त किया गया किया तत्पश्चात इन विद्यालयों से शोध कार्य हेतु प्रयुक्त आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों तथा ज. परीक्षण तकनीक का उपयोग किया गया है। ज.फलांक के आधार पर 0.05 पर सार्थकता स्तर की जांच की गयी है।

सारणी-1

शिक्षक अभिवृत्ति मापनी में विविध आयामों में वर्गीकृत कथनों का विवरण

क्र. सं.	आयाम	प्रकृति	प्रश्न संख्या	कुल प्रश्न
1	मनोवैज्ञानिक / व्यवहारिक	अनुकूल	1, 10, 16, 37, 45	5
		प्रतिकूल	5, 7, 14, 21, 27	5
2	सामाजिक एवं अभिभावक सम्बंधित	अनुकूल	2, 8, 12, 20, 23, 26, 29, 31, 32	9
		प्रतिकूल	17, 38, 39	3
3	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी	अनुकूल	3, 9, 13, 18, 24, 34, 40, 44	8
		प्रतिकूल	4, 15, 22, 42, 46	5
4	प्रशासनिक	अनुकूल	6, 11, 19, 28, 30, 35, 41	7
		प्रतिकूल	25, 33, 36, 43, 47	5
कुल				47

उक्त शिक्षक अभिवृत्ति मापनी में 4 प्रमुख आयामों में प्रत्येक के लिए कुछ अनुकूल एवं कुछ प्रतिकूल कथन लिए गये हैं जिनका विवरण तालिका संख्या 3.9 में क्रमवार किया गया है। प्रत्येक कथन या प्रश्न के लिए 3 विकल्प यथा सहमत, अनिर्णीत, असहमत के माध्यम से प्रयोज्य से सूचना का संग्रहण किया गया है जिसमें अनुकूल कथनों के सापेक्ष सहमत के लिए 3 अंक, अनिर्णीत के लिए 2 अंक तथा असहमत के लिए 1 अंक तथा प्रतिकूल कथनों के सापेक्ष सहमत के लिए 1 अंक, अनिर्णीत के लिए 2 अंक तथा असहमत के लिए 3 अंक निर्धारित किये गये हैं। मापनी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक किसी प्रयोज्य का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तथा निम्न प्राप्तांक प्रतिकूल अभिवृत्ति प्रदर्शित करेगा।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोध समस्या के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या, विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत जनपद नैनीताल के प्राथमिक विद्यालय एवं वहां पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की वास्तविक स्थिति का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य-समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सारणी-2

समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

समूह	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	t	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	50	112.78	7.70	1.09	सार्थक अंतर नहीं
शहरी	50	114.48	7.87		

सारणी-3 में कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि नैनीताल जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यहाँ पर ज का मान 1.11 प्राप्त हुआ। यद्यपि पुरुष एवं महिला शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के माध्य एवं मानक विचलन में अंतर था तथापि यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक

नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं महिला शिक्षक लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए।

निष्कर्ष :

कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित पाए गए। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे सामान्य छात्रों के साथ-साथ विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त बालकों का भी ध्यान रखना होता है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं, समस्याओं, विशेषताओं, लक्षणों की पहचान के अनुरूप उनके लिए शैक्षिक व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। श्रवण, बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले तथा विचलित असविधाग्रस्त वर्ग के बालकों की अपनी-अपनी शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक, समाजिक कमियाँ होती हैं। एक अच्छे कक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक होने पर उचित व्यवस्था का प्रबंध कर सके। साथ ही कक्षा शिक्षक को विशेष व सामान्य बालकों की वैयक्तिक विशेषताओं एवं विभिन्नताओं की पहचान होनी चाहिए। विशेषकर मानसिक व संवेगात्मक भिन्नताएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालकों की बुद्धिलब्धि, उनकी रुचियाँ, स्वभाव, अभिवृत्तियों की पहचान कर कक्षा शिक्षक उनके आधार पर शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। कुछ विशिष्ट व सामान्य बालकों में कुछ खूबियाँ भी होती हैं जैसे अंधे या अस्ति विकलांगता वाले कुछ बालक अच्छे गायक होते हैं, कुछ अच्छे वादक होते हैं। कुछ सामान्य बालक भी सृजनशील तथा कलात्मक रुचि के होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कर कक्षा शिक्षक को उन बालकों की प्रतिभा का उपयोग पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शैक्षिक निहितार्थ :

अध्ययन से प्राप्त परिणाम वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा की सकल लपना को स्थापित करने के क्रम में सहयोगी हो सकते हैं तथा समावेशी शिक्षा के प्रति के साथ साथ उसकी व्यावहारिक समझ के विकास की ओर भी विचार करने के लिए शिक्षा नियोजकों को प्रेरित किया जा सकता है, शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों में आवश्यक नवाचारों के अनुपालन द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण की संकल्पना को साकार किया जा सके क्योंकि विद्यालय में समावेशी वातावरण निर्माण का प्रमुख घटक शिक्षक-शिक्षिकाएं ही हो सकते हैं। इसी क्रम में विशिष्ट शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों में आवश्यक योग्यता का विकास किया जाने पर भी विचार किया जा सकता है। शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के बारे में जानकार होना चाहिए।

इसमें सीखने की अक्षमताओं, व्यवहार संबंधी चुनौतियों और किसी अन्य विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना शामिल है। एक बार पहचाने जाने के बाद, शिक्षक इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को तैयार कर सकते हैं। कक्षा शिक्षक को निःशक्त बालकों की बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। श्रवणबाधित बालकों को सामने की सीटों पर बैठाना ताकि वे सरलता से कक्षा की बातों को सुन सके। मंद दृष्टि वाले बालकों के लिए भी कक्षा में सामने की बैठक व्यवस्था कक्षा शिक्षक को करनी चाहिए ताकि श्यामपट (ब्लैक बोर्ड) पर लिखी बातों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई न हो। मंदबुद्धि वाले बालकों तथा धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों के साथ एक सामान्य उपयुक्त सभी साथी को बैठाने से तथा उसे सहायता करने से कक्षा शिक्षक को सुविधा होती है। अस्थि विकलांग बालक हेतु उसके बैशाखी, व्हीलचेयर, ट्रायसिकल आदि को कक्षा शिक्षक को कक्ष में प्रकाश

तथा वायु हेतु भी व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में आधुनिक शिक्षोपकरणों के रखरखाव, कक्षा के बालकों के अभिलेख (रिकॉर्ड) की फाईलों को व्यवस्थित रखने आदि उत्तरदायित्व भी कक्षा के समस्त पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची :

- गैरटे , एच.ई. 1981. मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, दशम संस्करण, बी एफ एण्ड सन्स बाम्बे
- गुप्ता, दलजीत. 1983. “ए क्रिटिकल स्टडी आफनानफारमल एजुकेशन प्रोग्राम” (एजे ग्रुप 9–14) रन बाई डिफ्रेन्ट एजेन्सीज इन द स्टेट आफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2002. सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान. नई दिल्ली: प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
- नयाल, जी. एस. 1985. विद्यालय से पलायन के कारण. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष द्वितीय, अंक चतुर्थ, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020/ समावेशी शिक्षा, <https://pib.gov.in>
- रैकवार, रामगोपाल. 2000. प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल, 12–16।
- शर्मा युक्ति, समावेशी शिक्षा, पीअर्सन पब्लिकेशन।
- <https://www.mha.gov.in>, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016।
- <https://www.education.gov.in>, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
- एजुकेशन फॉर आल: टुवर्ड्स क्वालिटीविथ इक्विटी 2016।
- देवी, कुसुम. समावेशी शिक्षा में अध्यापकों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका: एक समीक्षा।
- निमांटे, दिता. समावेशी शिक्षा के लिए उनकी योग्यताओं पर शिक्षकों का परिप्रेक्ष्य।
- सिंह, शिबा. 2020. अ स्टडी ऑफ एटिट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्ड इनक्लूसिव एजुकेशन।
- Farswan, D.S. (2023). National Education Policy 2020 and Teacher Education in India. Mukta Shabd Journal, 13(1), 770-782.
- Farswan, D.S. (2023) NEP 2020 and inclusive education in India. JOURNAL OF XI AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY 16(1), 581-591